प्रेस नोट दिनांक 25-07-2022

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा एक कांवडिए को समय से अस्पताल पहुँचाकर बचाई गई जान, परिजनों ने पुलिस का किया धन्यवादः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा कावड़ यात्रा-2022 को सकुशल सम्पन्न कराने के निर्देश जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों को दिये गये हैं। जिसके दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा 24 घंटे शिवभक्तों की सुरक्षा हेतु सर्तकता के साथ डियूटी कर रही हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 25-07-2022 को गोपालनगर नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर के रहने वाले श्री अनिल रसवन्त पुत्र परमानन्द द्वारा डायल-112 पर सूचना दी गई कि सड़क दूधली गुरु नानक ढाबे के पास एक कांवडिए को दोरा पड़ गया है। सूचना मिलने पर पीआरवी0-0962 द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर उपरोक्त कांवडिए को जिला अस्पताल, सहारनपुर में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज सुचारु रुप से चल रहा है तथा खतरे से बाहर हैं। पीआरवी-0962 पर डियूटीरत कर्म0गण द्वारा उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम आकाश पुत्र करतार सिंह निवासी आईटीसी रोड़ जे0जे0 पुरम्, सहारनपुर बताते हुये बताया कि वह हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहा था तथा इसके साथ-साथ अपने परिजनों के बारे में भी बताया गया तथा बाद पूछताछ उसके परिजनो से जरिये दूरभाष वार्ता की गई, जिस पर उसके परिजन जिला अस्पताल पहुँचे और त्वरित कार्यवाही के लिये पी0आर0वी0-0962 के समस्त पुलिस स्टाफ को धन्यवाद किया गया।

!! सहारनपुर पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर !!

प्रेस नोट दिनांक 25–07–2022

क्राइम ब्रांच एवं थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा साखन नहर पटरी पर सलीम खान नामक व्यक्ति का गला काटकर घायल कर गाड़ी लूट करने की घटना का सफल अनावरण, घटना को अंजाम देने वाले 02 शातिर लुटेरे बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार, कब्जे से मो0सा0, मोबाइल फोन व अवैध असलहा/कारतूस बरामदः–

अवगत कराना है कि दिनांक 17–07–2022 को साखन नहर की पटरी के पास सलीम खान पुत्र शमसुद्दीन निवासी ग्राम अहिरौली बाजार थाना कसया जनपद कुशीनगर, हालपताः–इफ्को चौक सहारा मल के पास ग्राम चकरपुर, गुड़गांव को अज्ञात बदमाशो द्वारा चाकू से घायल कर उसका पर्स, जिसमें 40000/–रुपये, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, गाड़ी की आर0सी0 आदि एवं गाड़ी को लूटकर ले गये थे। जिसके सम्बन्ध में मुन्ना खान पुत्र अनवर खान निवासी सरस्वती इन्क्लेव नियर सैक्टर–37, गुड़गांव द्वारा दी गई लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 481/2022 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना स्थल का मुआयना करते हुये घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु थाना देवबन्द पुलिस के साथ–साथ क्राइम ब्रांच टीम को भी लगाया गया था तथा पुलिस द्वारा घटना स्थल के पास ही लूटी गई स्विफ्ट गाड़ी बरामद किया गया था।

जिसके क्रम में दिनांक 24–07–2022 को पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में क्राईम ब्रांच एवं थाना देवबन्द पुलिस की संयुक्त टीम के अथक प्रयासों द्वारा उपरोक्त घटना को अंजाम देने वाले 02 शातिर लुटेरो बाद पुलिस मुठभेड़ 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 05 जिन्दा कारतूस, हीरो स्पलेण्डर मोटर साइकिल नं0 एचआर 85 ए–6819 व 02 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 492/2022 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0 493/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 494/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 495/2022 धारा 414 भादवि पंजीकृत किये गये है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः–

1–सावेज पुत्र मेहताब निवासी ग्राम परौली थाना देवबन्द, सहारनपुर, हालपताः–किरायेदार रुकैय्या बेगम का मकान तैमूर नगर गली नं0 पहाडी–1, उत्तरी दिल्ली।

2–सुल्तान पुत्र रिजवान निवासी किरायेदार मौहम्मद आरिफ का मकान गली नं0–4 नियर इस्लाम मस्जिद थाना जामिया, उत्तरी दिल्ली।

बरामदगी का विवरणः–

1–02 अवैध तमंचे 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 05 जिन्दा कारतूस।

2–हीरो स्पलेण्डर मोटर साइकिल नं0 एचआर 85 ए–6819।

3–02 मोबाइल फोन।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा घटना को कारित करना स्वीकार किया गया है तथा बताया गया कि अब से करीब एक हफ्ता पहले हम दोनो ने अपने साथी सैफ अली पुत्र अरशद नि0 ग्राम परौली थाना देवबन्द, स0पुर के कहने पर कि तुम गाड़ी लूटकर ले आओ। गाड़ी को मै खपा दूंगा। दिनांक 17–07–2022 को हम दोनो ने मिलकर एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर नं0 एचआर 55 एएच–2719 को सराय काले खां दिल्ली से देहरादून किराये पर लेकर आये थे, जब हम देवबन्द से आगे हाईवे पर साखन नहर की तरफ जाने कें बाद ड्राईवर को चाकूओ से घायल कर गाड़ी को लूटा था। गाड़ी लूटने के बाद जब हमने सैफ को फोन किया तो सैफ का मोबाइल नम्बर बन्द आ रहा था। काफी कोशिश करने के बाद भी सैफ से जब हमारा सम्पर्क नही हो सका तो हम गाड़ी को नहर पुल के पास छोड़कर भाग गये थे। गाड़ी में रखे एक पर्स, जिसमें लगभग 4,000/–रुपये, किसी मुन्ना नामक व्यक्ति की आईडी आदि थी, को हमने गाड़ी से निकालकर ले गये थे। जिसमें जो आज हम दोनो से पैसे बरामद हुये है, यही शेष बचे है, बाकि सब खर्च हो गये है। रास्ते में पुलिस से बचने के लिये हम दोनो ने उस दिन वाली गाड़ी की लूट में से जो आईडी मिली थी, अपने पास रखे हैं। यदि कही पकड़े जाये तो इसका गलत प्रयोग कर सके और बच जाये। आज हम दोनो इसी लूट के उद्देश्य से दोबारा इस बरला वाली सड़क पर आये थे कि पुलिस द्वारा पकड़े गये। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे है, जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही हैं। अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ जारी हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–श्री प्रभाकर कैन्तुरा, प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द, स0पुर। 2–निरीक्षक श्री संजीव यादव, प्रभारी स्वाट टीम मय टीम 3–श्री अजब सिंह, प्रभारी सर्विलान्स सेल मय टीम।	4–उ0नि0 श्री बलराम सिंह, थाना देवबन्द, स0पुर। 5–उ0नि0 श्री धीरज सिंह, थाना देवबन्द, स0पुर। 6–उ0नि0 श्री ललित तोमर, थाना देवबन्द, स0पुर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, स0पुर द्वारा पुलिस टीम को 25,000/–रुपये के ईनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।